

NO-1028-IC

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

आवेदक - श्री सुरेश कुमार धुर्वे उम्र 37 वर्ष, आत्मज श्री छोटेलाल धुर्वे (जाति गौड़) आदिवासी निवासी-मुकनवारा तह. व जिला जबलपुर (म.प्र.)


श्री सुरेश कुमार
उम्र - 37 वर्ष
द.क. 29.3.16 अतः
शान्ति धुर्वे
म.प्र. 4/3/16

विरुद्ध

अनावेदक - म.प्र. शासन द्वारा- कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रं. 319/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2014 से व्यथित होकर

Prakash
बालेश कुमार
25 मार्च



29 MAR

Handwritten signature or initials.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक - निग0 1028 -एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकर्तों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 319/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-4-14 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 16-4-14 के विरुद्ध पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक कम पढ़ा लिखा आदिवासी व्यक्ति है जिसे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन के अंतिम के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर वह निरंतर इस असमंजस में रहा कि उसका प्रकरण अभी विचाराधीन है । जब वह मार्च-2016 में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी लेने गया तब ज्ञात हुआ कि उसका आवेदन निरस्त किया जा चुका है तब उन्होंने दिनांक 16-3-2016 को आवेदन पेश कर लोक सूचना अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के प्रकरण की नकलें प्राप्त की गई तब उसे प्रकरण निरस्त किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । आवेदक द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी आधार पर मामला खारिज नहीं किया जाना चाहिए - उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिए गए तर्कों के समर्थन</p>	

2/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>में अपना शपथपत्र भी पेश किया गया है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक मान्य करने हेतु विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है ।</p> <p>3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें उसके द्वारा मौजा टीमन नं० बं० 251, प०ह०न० 40 रा०नि०मं० बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 1,2, 56, 89, 158, 162, 164, 227, 492 एवं 496 रकबा क्रमशः 1.110, 1.210, 0.420, 1.750, 2.420, 0.400, 1.030, 0.830, 2.270 एवं 4.330 हेक्टर कुल रकबा 15.770 हेक्टर को सतपुड़ा इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता स्व० राममिलन त्रिपाठी निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है कि उसके पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों में उल्लिखित अनुसार भूमि शेष नहीं बच रही है तथा उसे गार्ड लाइन से कम राशि प्राप्त हो रही है । इस संबंध में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि कलेक्टर का भूमि शेष नहीं बचने संबंधी निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि आवेदक के पास ग्राम चरणवां में 5.68 हेक्टर भूमि शेष बचती है इसका उल्लेख तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में भी किया है । किंतु कलेक्टर द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । कम राशि प्राप्त होने के संबंध में यह कहा गया कि केता अब उन्हें वर्तमान गार्ड लाइन के हिसाब से भूमि का मूल्य देने को तैयार है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा</p>	



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1028 - एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कय की गई है। आवेदक के पास ग्राम चरणवां में 5.68 हेक्टर भूमि शेष बचती है भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा टीगन नं0 बं0 251, प0ह0न0 40 रा0नि0मं0 बरगी स्थित भूमि मौजा टीगन स्थित आवेदित भूमियां जिनका उल्लेख ऊपर पैरा - तीन में किया गया है, के विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। 	



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>फ</p>	<p>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयवधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p> (एम०के० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>	